महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

निविदा प्रारम्भ की तिथि 03.06.2017
अमानत / बयाना राशि रूपये 4100 / – डी.डी. / बैंकर्स चैक
अनुमानित वार्षिक लागत रूपये 2.05 लाख
निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500 / – डी.डी. / बैंकर्स चैक
निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2017 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 12.06.2017 अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों में स्थापित 18 साईलैन्ट जनरेटरों के रख रखाव से संबंधित निविदा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म / संस्था का पूरा नाम व स्थायी पता --, --------------------, --
2. फोन नम्बर कार्यालय-------------- निवास ------------------------------
3. स्थानीय पूरा पता (यदि कोई हो तो) --
4. निविदा शुल्क की राशि -------- डी.डी. / बैंकर्स चैक की रसीद संख्या --------- दिनांक ---------- रेखांकित पोस्टल ऑर्डर द्वारा जमा करा दी है।
5. निविदा सूचना संख्या -------- दिनांक -------- जो -------- समाचार पत्र दिनांक------ के संस्करण में प्रकाशित हुई में वर्णित समसत शर्तों का पालना करने लिए हम सहमत हैं। उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गयी है, जिसके समसत पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रतिक स्वरूप नमूने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
6. बयाना राशि (Earnest Money) रूपये 4100 / – की डी.डी. / बैंकर्स चैक की रसीद संख्या -------- दिनांक ------- से जमा करायी गयी है।
7. आयकर / सेवाकर / शोधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।
8. आयकर पेन नं. संलग्न की जा रही है।

स्थान --------
दिनांक ---------

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर।

निविदा की शर्तें

1. निविदाऐं मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।
2. निविदा स्याही से अथवा टंकण द्वारा स्पष्ट भरी हुई होगी। पैन्सिल से भरी निविदा मान्य नहीं होगी। राशि अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिये। तथा निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये।
3. राशि त्रुटियां या ऊपरी लेखन (Over Writing) नहीं होना चाहिए। किन्ही परिस्थिति वश यदि शुद्वियां करनी आवश्यक हो तो उसे काट कर स्पष्ट रूप से लिखते हुए उन पर लघु हस्ताक्षर करने होगें।
4. बयाना राशि (Earnest Money) का समप हरण For Feit निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है की जायेगी।
   (i)निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के पश्चात् व स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेने।
   (ii) निविदादाता के निविदा शर्तों के अनुरूप करार पत्र निष्पादित नहीं करने।
   (iii) प्रतिभूति की राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में।
5. सभी जनरेटरों को चालू स्थिति (Working Condition) में रखना होगा, ताकि बिजली की आपूर्ति अवरूद्ध होने पर उन्हें तत्काल चालू कर बिजली आपूर्ति हो सके।
6. साईलैनट जनरेटरों के स्थापित स्थान की जानकारी निविदादाता कार्यालय समय में निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सामान्य प्रशासन अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
7. निविदादता को साईलैंट जनरेटरों को चलाने एवं रख–रखाव का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. साईलैंट जनरेटरों के रख रखाव की सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है।
9. सफल निविदादाता को दरों के अनुमोदन की तारीख से सात दिवस के भीतर एक अनुबन्ध 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा।
10. सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत राशि बतौर सुरक्षा राशि आदेश जारी होने के 07 दिवस में वित्त एवं लेखा शाखा में बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी।
11. प्रतिभूति राशि को संतोषप्रद कार्य की क्रियान्विति की स्थिति में कार्य पूरा होने की तारीख के दो माह बाद लौटायी जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज की राशि देय नहीं होगी।
12. विश्वविद्यालय न्यूनतम दरों पर कार्यादेश देने के लिये बाध्य नहीं हे। विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार आरक्षित है।
13. किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14. इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. जनरेटरों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदादाता द्वारा पूर्णरूपेण प्रशिक्षित, कुशल एवं अनुभवी तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जायेगा। जो प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10.00 बज से सायं 5.00 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में अभियन्ता कार्यालय में उपस्थिति देंगे।
16. कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि होती है या एक्सीडेन्ट होता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा, निविदादाता ही जिम्मेदार होगा।
17. यदि किसी कार्यदिवस को फर्म का तकनीकी स्टाफ अनुपस्थित रहता है तो प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए फर्म के मासिक बिल से रूपये 300/– प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी।
18. साईलैन्ट जनरेटरों को ऑपरेट करने के दौरान लापरवाही से जनरेटर या विश्वविद्यालय सम्पत्ति का कोई नुकसान होता है तों उसका हर्जाना निविदादाता को वहन करना होगा तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने के 10 मिनट की अवधि में समय पर जनरेटर चालू नहीं करने पर रू0 200/– प्रति अवसर प्रति जनरेटर की पेनल्टी वसूल की जायेगी।
19. कोई भी निविदा सशर्त अथवा निविदादाता की और से कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
20. निविदाओं में उल्लेखित दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगी। संतोषजनक कार्य पाए जाने पर आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा

सकेगी। सफल निविदादाता को प्रथमतः दो माह हेतु कार्यादेश जारी किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर कार्यादेश अनुबन्ध की शेष अवधि हेतु बढ़ाया जावेगा।

21. समस्त विधिक कार्यवाईयॅा यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही संस्थित की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
22. सभी जनरेटरों को प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक कार्यदिवस में ऑटो मोड पर रखना होगा इसके अतिरिक्त समय व दिवसों पर मैन्युअल मोड पर चालू स्थिति में रखना होगा। विश्वविद्यालय कार्य की आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में अवकाश के दिन एवं कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् भी विश्वविद्यालय में निर्देशानुसार तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करना होगा।
23. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डीजल, के सत्यापन हेतु जनरेटरों की लॉग बुक का संवदेक द्वारा संधारण करनी होगी तथा डीजल, का इन्द्राज लॉग बुक में किया जावेगा तथा औसत उपभोग भी माईलो हॉवर मीटर से गणना करके लॉग बुक में इन्द्राज किया जावेगा। डीजल आदि का उपभोग की असामान्य स्थिति पाई जाती है तो केवल माईलो मीटर हॉवर के आधार पर डीजल उपभोग से अधिक डीजल उपभोग की स्थिति जानने पर वसूली संवेदक के बिलों में से की जावेगी। लॉग बुक का सत्यापन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी करेंगे।
24. सभी जनरेटरों के चालू रहने की स्थिति की रिपोर्ट संवेदक के बिल भुगतान हेतु प्रतिमाह संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी देंगे उक्त रिपोर्ट के आधार पर एवं लॉग बुक की प्रति संलग्न करने पर ही बिल का भुगतान किया जावेगा व तकनीकी जाँच व बिल सत्यापन करने का कार्य विश्वविद्यालय अभियन्ता के नियंत्रण में रहेगा सहायक अभियन्ता अपने अधिनस्थ लाईनमैन से करायेगा। विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी प्रति माह की रिपोर्ट में जनरेटरों के खराब रहने की स्थिति का भी उल्लेख करेंगे ताकि उसके अनुसार ही संवेदक के बिल में से कटौति की जावेगी।
25. साईलैन्ट जनरेटरों में कार्यरत् बैट्रियों की गारन्टी/वारन्टी समाप्त होने अथवा अवधि समाप्ति पर खराब होने पर नई बैट्रियां विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। अगर बैट्रियां रख–रखाव के अभाव व फर्म की लापरवाही से खराब होती है तो फर्म को नई बैट्री लगानी होगी। बैटियों का रख–रखाव भी संवेदक करेगा एवं समय–समय पर डिस्टिलवाटर भी भरवायेगा।
26. मुख्य लिफाफे में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दो अलग–अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिये जिसके उपर बिड संख्या व दिनांक , निविदा का विषय एवं बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के नाम के साथ क्रमशः तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड रेखांकित करते हुये लिखा होना चाहिये। किसी भी लिफाफे के पृष्ठ भाग पर कुछ भी नहीं लिखा जाये। तकनीकी बिड में योग्य पाये गए संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
27. सभी जनरेटरों में ऑयल, डीजल, कूलेंट तथा डिस्टलवाटर का माप निर्धारित मापदण्डानुसार करना होगा।
28. सभी जनरेटरों में Earthing में वांछित पानी समय समय पर उपलब्ध करवाना और Earthing का बोल्ट भली प्रकार नाप करके सुनिश्चित करना होगा।
29. जनरेटर से बिल्डिंग कक्षबार पैनल तक सुव्यवस्थित विद्युत निरन्तर मिलती रहे, इसकी सुचारू रूपेण व्यवस्था करना होगा।
30. विद्युत तथा मैकेनिज्म दोनों ही की यदि कोई खामी होती है तो तत्काल दुरस्त करना होगा। तथा जनरेटर का रखा रखाव निविदादाता द्वारा किया जायेगा, इसके लिए उक्त के अलावा कोई अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जायेगा।
31. संवेदक लॉग बुक संघारित करनी होगी इसमें डीजल, आदि का हिसाब भी रखना होगा। जिनका विश्वविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
32. अन्य सभी संलग्न शर्तों की पालना करनी होगी।

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर
एवं मोबाईल नं.

____

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

तकनीकी बिड

विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों में स्थापित 18 साईलैन्ट जनरेटरों के रख रखाव संबंधी निविदा

1. बयाना/अमानत राशि रूपये .... डी.डी./बैंकर्स चैक नं0 .... दिनांक .... संलग्न होनी चाहिये।
2. निविदा द्वारा स्वयं के नाम, निविदा में अंकित कार्य के लिए सक्षम सत्ता से पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।
3. वर्तमान सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन एवं क्लीरियरेंस प्रमाण पत्र व पेन नम्बर की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. निविदादाता निविदा में राजकीय विभागों/अर्धशासकीय विभागों/अन्य विभागों/औधोगिक ईकाईयों/निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्षों का सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति।
5. निर्धारित Annexure A,B,C,D,E संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

नाम व पूर्ण पता..
दूरभाष/मोबाईल नं0 ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्तीय बिड

साईलैन्ट जनरेटर डी0जी0 सेट चलाने हेतु निविदा दरें

क्र.सं.	जनरेटर सैट जहां पर स्थापित है का विवरण।	मात्रा	भार क्षमता केवीए	निविदादाता द्वारा सभी जनरेटर सैटों के रख रखाव व आवश्यकतानुसार संचालित करने की सभी करों सहित प्रतिमाह दरें।
1.	बृहस्पति भवन	01	25	
2.	महाराणा प्रताप भवन	02	25	
3.	चाणक्य भवना	02	25	
4.	विक्रमादित्य भवन	02	25	
5.	वाल्मिकी भवन	01	20	
6.	सारस्वत भवन	01	20	
7.	आर्यभट्ट भवन	01	20	
8.	पतंजली भवन	01	10	
9.	नागार्जुन भवन	01	25	
10.	कणाद भवन	03	25	
11.	चरक भवन	01	25	
12.	गार्गी महिला छात्रावास	01	25	
13.	नचिकेता छात्रावास	01	20	

उक्त दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु मेरी सहमति देता हूँ।

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर
एवं मोबाईल नं.
____
____

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall –

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse in any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct ant investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common ; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity a engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure – B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. For procurement of ………………………………… In response to their Notice Inviting Bids No. SP – 20 Dated 02.03.2016, I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administration by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition; Date Signature of bidder Place Name: Designation:

   Address:

Signature of bidder

Date

Name:

Place

Designation:

Address:

Annexure – C : Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filling as appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the field only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The Officer to who as appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the official designated under para (1) filed to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality;

(5) From of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority and for second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for the first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

  (i) hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure – D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid dose not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and condition of the Bid and the condition of contract.

ii. If any procuring Entity dose not procure any subject matter of procurement of procures less than the quantity specified in the Bidding Document due the change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be fee to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

Annexure – E

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय हमारे मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्था/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
बिडदाता का नामः–

पूर्ण पताः–

दूरभाष नं.